न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अजीतसिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 124/2023

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती शान्ती पुत्री स्व. भूराराम पत्नी मोहनराम जाति गुरू निवासी– ग्राम डांगियावास, हाल निवासी– कडवड तहसील व जिला जोधपुर।		1. श्रीमती चन्दूदेवी पत्नी फौजाराम सांसी निवासी– सांसीयों की ढाणी, गुंजरावास, तहसील व जिला जोधपुर 2. इन्द्राराम पुत्र नरसिंहराम 3. झूमरलाल पुत्र नरसिंहराम 4. श्रवणराम पुत्र सोनाराम 5. महेन्द्र पुत्र सोनाराम जातियान गुरू निवासीगण– ग्राम डांगियावास, 6. नायब तहसीलदार डांगियावास 7. तहसीलदार, जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 17.02.2023 जो अपर जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2021 अनवान श्रीमती शान्ती बनाम चन्दूदेवी वगैराह में पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री बाबूलाल गोरा, अधिवक्ता अपीलांटस की ओर से ।
2– श्री दिलीप मूलचन्दानी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से।
3– श्री अशोक चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की ओर से।
3– श्री नवलसिंह दहिया, राज0 अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 6 व 7 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः09 दिसम्बर, 2024

अपीलान्ट ने यह द्वितीय राजस्व अपील अपर जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर के द्वारा राजस्व अपील संख्या 07/2021 अनवान श्रीमती शान्ती बनाम चन्दूदेवी वगैराह में पारित आदेश 17.02.2023 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 10.04.2023 को प्रस्तुत की गई है।

पक्षकारो के अधिवक्तागण उपस्थित। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन नामा0 संख्या 450 दिनांक 09.02.1983 जो नायब तहसीलदार द्वितीय जोधपुर के द्वारा स्वीकृत किया गया था, के विरूद्ध प्रथम अपील पेश की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को नामा0 स्वीकृत होने के 37 वर्ष के पश्चात विलम्ब से पेश करने तथा अपीलाधीन नामा0 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदारान की

कथित आपसी सहमति से बंटवाडा किये जाने के आधार पर स्वीकृत किया हुआ होने व बंटवाडा के अस्तित्व में रहने तक नामा0 को निरस्त नहीं किये जाने के आधार अंकित करते हुए प्रथम अपील पोषणीय नहीं होने से अपील निरस्त कर दी गई है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उपरोक्त विवादित नामा0 450 गैर कानूनी व कानून के विपरित पारित किया गया था जिस पर तत्कालीन भू0अ0निरीक्षक द्वारा स्पष्ट नोट अंकित कर रिपोर्ट करी कि उक्त बंटवाडा स्वीकृत करने व नामा0 खोलने का कोई आदेश प्रापत नही है, उसके बावजूद ना0 तहसीलदार व पटवारी हल्का ने मिलीभगती कर राजस्व अभियान में नामा0 स्वीकृत किया जो नामा0 व पश्चातवर्ती नामा0 अपीलान्ट के हितों के विपरित प्रभाव शून्य है। ऐसे में उक्त नामा0 अपने आप में अवैध होने से उस पर मियाद का बिन्दू मायने नहीं रखता, अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है और न ही उक्त आदेश में ऐसे कारण अंकित किये गये, अपीलान्ट द्वारा पेश न्यायिक निर्णयों पर भी गौर नहीं किया और विवादित नामा0 के कॉलम में भी किसी प्रकार का एग्रीमेन्ट का हवाला नहीं है एवं नही रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई एग्रीमेन्ट पेश किया था, उक्त सभी तथ्यों के जानकारी अधीनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद अपीलान्ट की प्रथम अपील अस्वीकार कर दी गई जो आदेश खारिज होने योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त नामा0 में दर्ज खातेदारो के विधिक वारिसानों की जॉच रिपोर्ट भी तहसीलदार जोधपुर से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाइ गई जिसमें अपीलान्ट शान्ती स्व. भूराराम की पुत्री होना पाया गया जिसका भी हवाला अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में वर्णन नहीं किया गया जिससे उपरोक्त अपीलाधीन आदेश प्रभाव शून्य है एवं खारिज करने योग्य है। अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 स्वीकृत करने से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था ऐसे में भी अपील पेश करने में मियाद का तकनीकी बिन्दू आडे नहीं आ सकता है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनाक 17.02.2023 एवं अपीलाधीन नामा0 संख्या 450 दिनांक 09.02.1983 को अपीलान्ट के हक हिस्से तक प्रभाव शून्य कर ग्राम डांगियावास के ख0सं0 79 की रकबा भूमि के पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए अपीलान्ट के हक–हिस्से बाबत अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें। अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक

दृष्टान्त पेश किये जिनका गहनता से अवलोकन किया गया।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्टसगण के विद्वान अधिवक्ताओं ने यह कथन किया कि अपीलान्ट ने गलत व झूठे तथ्यों के आधार पर अपील पेश की थी, अपील को अपील प्रस्तुत करने से कोई वाद उत्पन्न नहीं हुआ है। अपीलार्थीया को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी प्रारम्भ से ही रही और अन्य दर्ज नामा0 को भी जानकारी रही है एवं वर्ष 2010 में अपीलान्ट ने हकतर्कनामा निष्पादित किया गया था। ऐसे में अपीलार्थीया अपीलीय न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं गई थी। ऐसे में अपीलान्ट को अपीलाधीन नामा0 की जानकारी वर्ष 2010 में ही हो गई थी तो भी उसके द्वारा प्रथम अपील विलम्ब से पेश की गई थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद बिन्दू के आधार पर अस्वीकार की गई जो यथावत रखे जाने योग्य है।

रेस्पोडेन्टस अधिवक्ताओं ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन नामा0 आदेश स्वीकृत करते समय अपीलार्थी पक्षकार नहीं थी ऐसे में उसे अपील करने का भी विधिक अधिकार नहीं रहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रथम अपील को पोषणीय नहीं होना माना और उस आधार पर प्रथम अपील को अस्वीकार किया गया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी प्रथम अपील को गुणावगुण पर निर्णित नहीं करते हुए इन सभी आधारों पर अस्वीकार की गई है जो बहाल रखे जाने योग्य है। अपीलाधीन नामा0 चूंकि बंटवाडा के आधार पर स्वीकृत किया गया है तो ऐसे में बंटवाडा अस्तित्व में रहते उसकी पालना में स्वीकृत किये गये नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी अपने हक–हकूको को प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा किया जा चुका है। अतः अपीलान्ट की इस अपील को बिना गुणावगुण पर विचार किये ही अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन नामा0 आदेश एवं अपीलाधीन आदेश यथावत बहाल रखा जावें। रेस्पोडेन्टस अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिनका गहनता से अवलोकन किया गया।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गहनता से मनन किया तथा अपील पत्रावली, अधीनस्थ न्यायालय के मूल रेकर्ड एवं प्रस्तुत दस्तावेजो आदि का अध्ययन व अवलोकन किया जिससे यह पाया गया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीया द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 450 पर पारित आदेश दिनांक 09.02.1983 के विरूद्ध वर्ष 2021 में पेश की जाना प्रकट होता है जबकि उसे वर्ष 2010 में ही इस प्रकार की कार्यवाही सम्पादित हो जाना की जानाकरी हो गई थी। उसके पश्चात भी प्रथम अपील

विलम्ब से पेश की गई थी। खातेदार स्व. भूराराम की मात्र पुत्री होने के आधार पर नामा0 कार्यवाही को चुनौती नहीं दी जा सकती है। अपीलार्थीया के द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत इस अपील में जो भी तथ्य दर्शाये गये है, उनका सविस्तृत व सकारण निस्तारण प्रथम अपीलीय न्यायालय के द्वारा किया जा चुका है। अपीलार्थीया के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख्या 450 को इस अपील के जरिये चुनौती दी गई है जबकि उक्त नामा0 बंटवाडा के आधार पर सहखातेदारान के मध्य होकर उनका नाम दर्ज करने हेतु स्वीकृत किया गया है। ऐसे में जब तक उल्लेखित बंटवाडा को सक्षम न्यायालय के स्तर पर निरस्त नहीं करवाया जाता हैं तब तक उल्लेखित नामा0 को निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की द्वितीय अपील अस्वीकार करने योग्य पाई जाती है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों पर विवेचन एवं विशलेषण के परिणामस्वरूप अपीलान्टस की अपील अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, प्रथम, जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.02.2023 को बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 09 दिसम्बर, 2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

09.12.24

(अजीतसिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर